न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— अनिल कुमार अग्रवाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :— 01/2021 (जी.सी.एम.एस.नम्बर 2021/6)

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक बाडी धौलपुर ———————— प्रार्थी।

बनाम

वदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड वदरैठा एफपीएस कोड नम्बर 9718 तहसील बाडी ——————————अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति : —

प्रार्थी की ओर से :— :— दिव्या कमठान सहा0 लोक अभियोजक प्रथम
अप्रार्थी की ओर से :— श्री विमल शर्मा अभिभाषक

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

निर्णय दिनांक 27.12.2022

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि जिला कलक्टर महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 02.01.2021 को वदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड वदरैठा ग्राम पंचायत नगला विधौरा एफपीएस कोड–9718 तहसील बाडी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड वदरैठा ग्राम पंचायत नगला विधौरा एफपीएस कोड–9718 के द्वारा राशन वितरण एवं स्टॉक सम्बधी गंभीर अनिमितताऐं पाई गई। वदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड वदरैठा ग्राम पंचायत नगला विधौरा एफपीएस कोड–9718 की गंभीर अनियमितताऐं पाये जाने पर उपखण्डाधिकारी बाडी, पटवारी नरेश व गिरदावर नरेन्द्र के सम्मुख स्टॉक भौतिक सत्यापन कर गोदाम सील फर्द मौका बनाकर सील किया गया। मौके पर लिये बयानात एवं मौके की स्थिति का कार्यालय रिकॉर्ड से मिलान करने पर उचित मूल्य दुकानदार वदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, वदरैठा ग्रम पंचायत नगला विधौरा एफपीएस कोड–9718 एवं मुकुन्दपुर महिला बहु. सहकारी समिति लिमिटेड, नगला विधौरा एफपीएस कोड–9719 में निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गई:–

1– वदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड वदरैठा ग्राम पंचायत नगला विधौरा एफपीएस कोड–9718 का दुकानदार अप्राधिकृत स्थल ग्राम खेरली खाधान्न भण्डार गोदाम से वितरण करता पाया गया।

2– वदरैठा ग्राम सेवा सहाकारी समिति लिमिटेड वदरैठा ग्राम पंचायत नगला विधौरा एफपीएस कोड–9718 का सहायक व्यवस्थापक राजीव शर्मा ने वदरैठा ग्राम सेवा सहाकारी समिति लिमिटेड, वदरैठा ग्राम पंचायत नगला विधौरा एफपीएस कोड–9718 की उचित मूल्य दुकान ग्राम खेरली ग्राम पंचायत नगला विधौरा के खाधान्न भण्डारण गोदाम से संचालित होना बताया मौके पर ग्राम खेरली ग्राम पंचायत नगला विधौरा में रखे स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर 490.50 क्वि. गेंहू, 450 किग्रा. चना व 41 किग्रा. चीनी पाई गई गोदाम में रखे स्टॉक का पॉश मशीन संख्या 9718 व 9719 के रिकॉर्ड जनवरी 2021 चालान संख्या CHAW00005726856 के अनुसार भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें मौके पर वदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड वदरैठा ग्रम पंचायत नगला विधौरा एफपीएस कोड–9718 पर 72.15 क्वि. गेंहू व 22 किग्रा. चीनी अधिक पाई गई तथा 824 किग्रा. चना मौके पर कम मिला।

3– मुकुन्दपुर महिला बहु. सहकारी समिति लिमिटेड नगला विधौरा कोड–9719 का 186.45 क्वि. गेंहू गोदाम ग्राम खेरली में रखा होना स्वीकार किया पॉश मशीन संख्या 9719 एवं चालान संख्या CHAW00005726856 के अनुसार ग्राम खेरली खाधान्न गोदाम नगला विधौरा में मौके पर पाये गये स्टॉक में कार्यालय रिकॉर्ड से मिलान करने पर पॉश मशीन संख्या 9719 मे 800 किग्रा. चना व 459.6 किग्रा. चावल कम पाया गया।

4– वदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड ग्राम पंचायत विधौरा एफपीएस कोड–9718 द्वारा माह दिसम्बर 2020 में उपभोक्ताओं का पॉश मशीन से 99.57 क्वि. गेहू व 26 किग्रा. चीनी का वितरण कर दिया जाना परन्तु भौतिक रूप से उन्हें राशन सामग्री वक्त जांच तक विरतण नहीं किया जाना बताया।

5– मुकुन्दपुर महिला बह. सहकारी समिति लिमिटेड नगला विधौरा एफपीएस कोड–9719 द्वारा अपनी प्रमाणित उचित मूल्य दुकान के गोदाम में अन्य उचित मूल्य दुकान वदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड वदरैठा ग्राम पंचायत नगला विधौरा एफपीएस कोड–9718 की खाधान्न सामग्री रखवाकर गंभीर अनियमितताऐं की गई है। गंभीर अनिमितताओं के कारण जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा मुकुन्दपुर महिला बहु. सहकारी समिति लिमिटेड वदरैठा ग्राम पंचायत नगला विधौरा एफपीएस कोड–9719 व वदरैठा ग्राम सेवा सहाकारी समिति लिमिटेड वदरैठा ग्राम पंचायत नगला विधौरा एफपीएस कोड–9718 के प्राधिकार पत्र को निलंबित किया गया। उक्त दोनों उचित मूल्य दुकानों की अस्थाई वितरण व्यवस्था हेतु आदेश कमांक/रसद/एफपीएस/2021/57 दिनांक 5.01.2021 द्वारा निलंबित उचित मूल्य दुकान वदरैठा ग्राम सेवा सहाकारी समिति लिमिटेड वदरैठा ग्राम पंचायत नगला विधौरा एफपीएस कोड–9718 का अटैचमेंट रविन्द्र ग्राम पंचायत नौहरा तहसील बाडी एफपीएस कोड–9725 एवं आदेश कमांक कमांक/रसद/एफपीएस/2021/45 दिनांक 5.01.2021 द्वारा निलंबित उचित मूल्य दुकान मुकुन्दपुर महिला बहु. सहकारी समिति लिमिटेड नगला विधौरा का अस्थाई अटैचमेंट श्री राकेश कुमार गौड ग्राम पंचायत नौहरा तहसील बाडी एफपीएस कोड–9724 से लगाया गया। उक्त आदेशों की पालना में चार्ज हस्तान्तरण एवं अतिरिक्त स्टॉक को जब्त सरकार

करने हेतु सील गोदाम पटवारी नरेश, गिरदावर नरेन्द्र राशन डीलर राकेश कुमार गौड रविन्द्र वदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड वदरैठा ग्राम पंचायत नगला विधौरा एफपीएस कोड–9718 के व्यवस्थापक ओमप्रकाश शर्मा, सहायक व्यवस्थापक राजीव शर्मा, एवं मुकुन्दपुर महिला बहु. सहकारी समिति लिमिटेड नगला विधौरा की व्यवस्थापिका रेनू शर्मा के सम्मुख सील खोलने हेतु सील चैक की गई। सील सही पाई गई सभी की उपस्थिति में सील खोलकर स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया स्टॉक गोदाम में सही पाया गया।

6– गोदाम में स्टॉक में से उचित मूल्य दुकानदार मुकुन्दपुर महिला बहु. सहकारी समिति लिमिटेड नगला विधौरा एफपीएस कोड–9719 की पॉश मशीन व चालान संख्या CHAW00005726856 *के अनुसार अटैचमेंट डीलर राकेश कुमार गौड ग्राम पंचायत नौहरा एफपीएस कोड–9724 को 186.45 क्वि. गेहू तथा निलंबित उचित मूल्य दुकान वदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड वदरैठा ग्रम पंचायत नगला विधौरा एफपीएस कोड–9718 की पॉश मशीन व चालान संख्या* CHAW00005726856 *के अनुसार अटैचमेंट राशन डीलर रविन्द्र ग्राम पंचायत नौहरा एफपीएस कोड–9725 को 131.90 क्वि. गेंहू, 19 किग्रा चीनी तथा 450 किग्रा. चना मौके पर चार्ज में लिया गया तथा दोनों से चार्ज हस्तान्तरण प्रपत्र अलग से बनाकर सभी के सम्मुख हस्ताक्षर करवाये गये एवं पॉश मशीनें सुपुर्द की गई।*

7– दोनों अटैचमेंट राशन डीलरों को चार्ज हस्तान्तरण करवाने के पश्चात अतिरिक्त स्टॉक की तौल कराई गई तथा प्रथक से तौल पटटी बनाई गई। संलग्न तौल पटटी के अनुसार 72.15 क्वि. गेंहू व 22 किग्रा चीनी अधिक पाई गई। अधिक मिले स्टॉक 72.15 क्वि. गेंहू व 22 किग्रा चीनी को जब्त सरकार किया जाता है और मौका परिस्थिति एवं सुरक्षा की दुष्टि से उचित मूल्य दुकानदार रविन्द्र ग्राम पंचायत नौरहा एफपीएस कोड–9725 की दुष्टि से उचित मूल्य दुकानदार रविन्द्र ग्राम पंचायत नौरहा एफपीएस कोड–9725 की सुपुर्दगी में दिया जाता है तथा प्रथक से सुपुर्दगी बनाया गया।

इस प्रकार वदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड ग्राम पंचायत नगला विधौरा एफपीएस कोड–9718 के व्यवस्थापक/सहायक व्यवथापक द्वारा राशन सामग्री वितरण कार्य में उपरोक्त अनियमितताऐं बरतकर राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए प्रस्तुत कर जब्तशुदा माल 72.15 क्वि. गेंहू मय वारदान एवं 22 किग्रा. चीनी मय वारदान को राजसात कर अन्तरिम निस्तारण करवाये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उसे इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अप्रार्थी की ओर से श्री विमल शर्मा अभिभाषक ने अपना

वकालतनामा पेश किया तथा जबाव हेतु समय चाहा। अप्रार्थी को जबाव पेश करने हेतु कई मौके दिये गये लेकिन अप्रार्थी की ओर से कोई जबाव पेश नहीं किया गया तथा दिनांक 18.10.2022 को अप्रार्थी का जबाव बन्द किया गया। अप्रार्थी के अभिभाषक एवं अप्रार्थी में से बहस हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहा0 लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी धौलपुर की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने दिनांक 02.01.2021 को अप्रार्थी की उचित मूल्य दुकान वदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड वदरैठा एफपीएस कोड–9718 तहसील बाडी एवं मुकुन्दपुर महिला बहु. सहकारी समिति लिमिटेड, नगला विधौरा एफपीएस कोड–9719 का निरीक्षण किया। वदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड वदरैठा एफपीएस कोड–9718 का दुकानदार **अप्राधिकृत** स्थल ग्राम खेरली खाधान्न भण्डार गोदाम से वितरण करता पाया गया। दोनों अटैचमेंट राशन डीलरों को चार्ज हस्तान्तरण करवाने के पश्चात अतिरिक्त स्टॉक की तौल कराई गई तथा प्रथक से तौल पटटी बनाई गई। संलग्न तौल पटटी के अनुसार 72.15 क्वि. गेंहू व 22 किग्रा चीनी अधिक पाई गई। अधिक मिले स्टॉक 72.15 क्वि. गेंहू व 22 किग्रा चीनी को जब्त सरकार किया गया। वदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड एफपीएस कोड–9718 के व्यवस्थापक द्वारा राशन सामग्री वितरण कार्य में अनियमितताऐं बरतकर राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रकरण में जप्तशुदा 72.15 क्वि. गेंहू मय वारदान एवं 22 किग्रा. चीनी मय वारदान राजसात किया जावे।

हमने प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहा0 लोक अभियोजक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी ने दिनांक 02.01.2021 को अप्रार्थी की उचित मूल्य दुकान वदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड वदरैठा एफपीएस कोड–9718 तहसील बाडी एवं मुकुन्दपुर महिला बहु. सहकारी समिति लिमिटेड, नगला विधौरा एफपीएस कोड–9719 का निरीक्षण किया। वदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड वदरैठा एफपीएस कोड–9718 का दुकानदार **अप्राधिकृत** स्थल ग्राम खेरली खाधान्न भण्डार गोदाम से वितरण करता पाया गया। गोदाम में रखे स्टॉक का पॉश मशीन संख्या 9718 व 9719 के रिकॉर्ड जनवरी 2021 चालान संख्या CHAW00005726856 के अनुसार भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें मौके पर वदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड वदरैठा एफपीएस कोड–9718 पर 72.15 क्वि. गेंहू व 22 किग्रा. चीनी अधिक पाई गई तथा 824 किग्रा. चना मौके पर कम मिला। दोनों अटैचमेंट राशन डीलरों को चार्ज हस्तान्तरण करवाने के पश्चात अतिरिक्त स्टॉक की तौल कराई गई तथा प्रथक से तौल पटटी बनाई गई। संलग्न तौल पटटी के अनुसार 72.15 क्वि. गेंहू व 22 किग्रा चीनी अधिक पाई गई। अधिक मिले स्टॉक 72.15 क्वि. गेंहू व 22 किग्रा चीनी को जब्त सरकार किया गया। वदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड एफपीएस कोड–9718 के

व्यवस्थापक द्वारा राशन सामग्री वितरण कार्य में अनियमितताऐं बरतकर राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अप्रार्थी राशन डीलर द्वारा यहॉ पर उक्त आरोपो के सम्बध में कोई जबाव पेश नहीं करना तथा आरोपो का खण्डन नहीं करना उसकी स्वीकारोक्ति को दर्शाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्तशुदा 72.15 क्वि. गेंहू मय वारदान एवं 22 किग्रा. चीनी मय वारदान राजसात किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्तशुदा 72.15 क्वि. गेंहू मय वारदान एवं 22 किग्रा. चीनी मय वारदान को राजसात किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। जिला रसद अधिकारी धौलपुर को निर्देश दिये जाते है, कि वे उक्त जब्तशुदा 72.15 क्वि. गेंहू मय वारदान एवं 22 किग्रा. चीनी मय वारदान को मय वारदाना सुपुर्दगार से प्राप्त कर अन्य किसी उचित मूल्य दुकानदार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नियन्त्रित मूल्य पर विकय कराकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करावें तथा जब्त शुदा माल के बराबर माल उसके मासिक कोटे में से कम करके दिया जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर